01. (अध्यक्ष महोदय अपने आसन पर)

अध्यक्ष :– माननीय सांसदों, युवा संसद के इस मानसून सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नये सदस्य शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। !महासचिव महोदय!

महासचिव :– सुश्री आरती जो उत्तर–प्रदेश के सहारनपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं। अब शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगी। " सुश्री प्रिया "

(सुश्री आरती उठकर महासचिव की मेज के दायी और पहुँचती हैं।)

महासचिव :– महोदया आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी।

सुश्री आरती :– महोदय मैं शपथ लूँगी।

महासचिव :– आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगी?

सुश्री आरती :– हिन्दी में श्रीमान।

(शपथ)

सुश्री आरती :– " मैं सुश्री आरती जो युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी, देश की प्रभुसत्ता और ऐकता बनाए रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ, उसके कत्तर्व्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी।"

महासचिव :– सुश्री अल्का, जो असम के जोरहाट संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं। अब शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान करेंगी। " सुश्री अल्का "

महासचिव :– महोदया आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान।

सुश्री अल्का :– महोदय मैं शपथ ग्रहण करूँगीं।

महासचिव :– आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी?

सुश्री अल्का :– अंग्रेजी में महोदय।

(Oath)

सुश्री अल्का :– " I Alka having been elected a member of lower house of the youth parliament , do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the constitution of India as by law established, that I will uphold the soveringnty and integrity of India and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter "

02. (OBITUARY REFERENCE)

अध्यक्ष :– माननीय सदस्यगण चूँकि हम दो माह के पश्चात आज मानसून सत्र के शुभारम्भ पर मिल रहे है। मेरा यह दु:खद कर्तव्य है कि मैं सदन को हमारे नौ सैनिकों के दु:खद निधन की सूचना दूँ। दिनांक 14 अगस्त 2013 को अचानक हुए विस्फोटों के कारण आई. एन.एस. सिंधुरक्षक पनडुब्बी मुम्बई के तट समीप समुद्र में डुब गई। फलस्वरूप इसमें सवार 15 नौ सैनिकों तथा 3 अफसरों को अपनी जान गवानी पड़ी। जो कि पूरे राष्ट्र के लिये अत्यन्त पीड़ा दायक है। यें सभी सैनिक अपने प्राणों की परवाह किये बिना देश की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहते थे। जिनकी इस दुर्घटना में असामयिक मृत्यु निश्चय ही दु:खद है। मैं इन सभी के परिवारों के लिये गहरी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ।

प्रधानमंत्री :– श्रीमान मैं, आई.एन.एस. सिंधुरक्षक पनडुब्बी हादसे में मारे गए सभी नौ सैनिकों को अपनी श्रद्धाजंलि अर्पित करता हूँ। हमारे जवान देश की सुरक्षा में विपरीत व कठिन परिस्थितियों में भी हमेशा तत्पर रहते है। वे हमारे राष्ट्र की अमूल्य सम्पत्ति तथा मानव संसाधन है। उनके त्याग, बलिदान व समर्पण की वजह से हम देश के भीतर सुरक्षित रहते है। हमारे इन 18 नौ सैनिकों की असामयिक मृत्यु अत्यन्त दुखपूर्ण है। मैं इन सब के परिजनों के लिये अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूँ।

विपक्ष के नेता :– श्रीमान मैं, आप व सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धाजंलि में अपने को भी सहयोजित करता हूँ। देश के लिये हमारे जवानों का योगदान अतुलनीय हे। वे हमारे कल या भविष्य को सुरक्षित रखने के लिये अपना आज या वर्तमान का बलिदान करते है। नौ सैनिक सहित थल सैनिक व वायु सैनिक सभी देश की सेवा में विषम परिस्थितयों में भी डटे रहते है। ऐसे 18 जवानों को इस आई.एन.एस. सिंधुरक्षक पनडुब्बी हादसे में खो देना राष्ट्र के लिये एक महान् क्षति तथा दुखदायी है। इस दुःखद घड़ी में मेरा शहीदों के परिजनों से आग्रह है कि वे अपने आप को अकेले ना समझे, बल्कि पूरा राष्ट्र उनके साथ खड़ा है। मैं शोक–संतप्त परिवार को संवेदनाएं भेजने में स्वयं को और अपने दल को सहयोजित करता हूँ।

अध्यक्ष :– सदस्यगण अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिये कुछ क्षणों के लिये मौन खड़े होंगे। महासचिव शोक संतप्त परिवारों को संवेदना संदेश भेजेंगे।

महासचिव :– हाँ श्रीमान।

03. (नये मंत्रियों का परिचय)

अध्यक्ष :– प्रधानमंत्री नये मंत्रियों का परिचय कराएगें।

प्रधानमंत्री :– अक्ष्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री मंडल के नये सदस्यों का सदन से परिचय कराना चाहता हूँ।

01. श्री रामेश्वर – भारी उद्योग मंत्री ।
02. सुश्री पायल रानी – पर्यटन, राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)।

(Question Hour)

अध्यक्ष :– **प्रश्न सं0 101, सुश्री आकृति**

सदस्य :– अध्यक्ष महोदय क्या माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री यह बाताने का कष्ट करेंगे कि –

(क) जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रर्वजन नीति (Migration Policy) का क्या उद्देश्य है?

(ख) क्या यह नीति अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल है?

(ग) यदि नहीं तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या उपाय कर रही है?

अध्यक्ष :– मानव संसाधन विकास मंत्री जी कृपया – पल्लवी

मंत्री :– महोदय – पल्लवी

(क) जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रर्वजन नीति (Migration Policy) का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना तथा विभिन्न संस्कृतियों का पारस्परिक आदान–प्रदान हैं।

(ख) एवं (ग) यह नीति अपने उद्देश्य में काफी हद तक सफल हैं लेकिन जब कभी भी इस नीति के अर्न्तगत कोई स्थानीय समस्या उत्पन्न होती है तो स्थानीय कारणों को ज्ञात कर उसका समाधान कर दिया जाता है।

अध्यक्ष :– **102, श्री अर्जुन**

सदस्य :– **श्रीमान अध्यक्ष जी, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि –**

अ– डालर के मुकाबले भारतीय रूपये का अवमूल्यन लगातार जारी है और यह गिर कर प्रति डालर 60 रूपये के ऊपर पहुँच गया है।

ब– इस अवमूल्यन का क्या कारण है।

स– रूपये के अवमूल्यन को रोकने के लिये सरकार कौन–कौन से कदम उठा रही है।

अध्यक्ष :– मंत्री जी कृपया –

वित्तमंत्री :– अ– अध्यक्ष महोदय, सरकार को यह जानकारी है कि डालर के मुकाबले रूपये का अवमूल्यन हो रहा है।

ब– महोदय, इस अवमूल्यन का प्रमुख कारण सोने के आयात में तीव्र वृद्धि है। जिसके कारण चालू खाते का घाटा अधिक बढ़ गया है।

स– महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहूँगी कि भारतीय रूपया भले ही डालर की तुलना में 60 के ऊपर पहुँच गया है। लेकिन रूपये के इस अवमूल्यन को रोकने के लिए सरकार और RBI द्वारा कई कदम उठाए गए है –

(1) RBI ने 12000 करोड़ के Bond बेचने का निर्णय लिया है। जिससे बाजार की तरलता को सोखा जा सके।

(2) RBI ने यह निर्णय किया है कि ONGC, IOC इत्यादि कुछ कंपनियों को छोड़कर अन्य कंपनियाँ विदेशी परिसंपत्ति की नहीं खरीद सकेगी।

(3) यह भी निर्णय लिया गया है कि कोई भी भारतीय अब 200000 रूपये के बजाए 75000 रूपये ही विदेश भेज सकेगा।

(4) सरकार NRI Bond लाने पर विचार कर रही है। इस उपायों से आशा है कि आने वाले 3–4 महीने में रूपये का अवमूल्यन पर काबू पा लिया जाएगा।

(5) दिनांक 08.07.2014 को संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार गैर पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में लगभग 13% की कमी आयी है, ये शुभ संकेत है। पिछले वर्ष देश की GDP 5% से कम थी जो इस वर्ष 2014–15 में GDP 5.4 से 5.9 रहने का अनुमान है।

(6) इन सभी के परिणाम स्वरूप माह अगस्त में सेंसक्स 18000 पाइंट से नीचे गिर गया था। जो वर्तमान में 25000 पाइंट के करीब पहुँच गया है। इससे यह इंगित हो रहा है। निवेशकों का भरोसा बाजार की ओर लौट रहा है। जिससे अर्थव्यवस्था के जल्दी ही पटरी पर आने की उम्मींद है।

अध्यक्ष :– **प्रश्न सं0 103, श्री खुशबू**

सदस्य :– **अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूँ –**

अ– क्या खाद्य एवं कृषि मंत्री इस तथ्य से अवगत है कि प्याज के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हो रही है तथा प्याज का मूल्य 40–50 रूपये प्रति किलो तक पहुँच गया है?

ब– यदि हाँ, तो सरकार प्याज की मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है?

स– क्या सरकार प्याज के निर्यात पर रोक लगाने का विचार कर रही है?

अध्यक्ष :– मंत्री जी कृपया –

खाद्य एवं कृषि मंत्री :– सुश्री राखी भाटी –

मँहगाई को देखकर, दुखमय सकल समाज
निर्बल जन जीना कठिन, कैसे साधे काज?
कैसे साधे काज कहाँ से लाए राशन?
मँहगी भई प्याज पकेगा कैसे सालन?

अ– अध्यक्ष महोदय प्याज के मूल्यों में हो रही वृद्धि की जानकारी सरकार को है।

ब– प्याज की कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार कई प्रकार के उपाय कर रही है –

(1) राज्य सरकारों के सहयोग से जमाखोरों के खिलाफ लगातार छापों की कार्यवाही जारी है। जिससे प्याज की आपूर्ति बढ़ाई जा सके।

(2) दिल्ली सरकार ने आगे बढ़कर सरकारी स्टालों पर प्याज बेचने का निर्णय किया है।

(3) सरकार पाकिस्तान और चीन से प्याज के आयात पर विचार कर रही है जिससे देश में प्याज की आपूर्ति बढ़ने पर कीमतें कम हो सके।

(4) महोदय मैं सदन को यह भी सूचित करना चहाती हूँ कि महाराष्ट्र एवं देश के अन्य भागों में इस वर्ष प्याज की बम्पर पैदावार होने की सम्भावना है। जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले तीन–चार महिनों में प्याज की कीमतों में तेजी से कमी आयेगी।

स– महोदय, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अर्न्तगत प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है।

अध्यक्ष :– **प्रश्न सं0 104, सुश्री तृप्ति गोयल**

सदस्य :– **अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कोयला मंत्री से यह जानना चाहूँगीं कि –**

अ– क्या Coal Bloks का आबंटन Open Tender द्वारा न करके किस नीति के तहत किया गया है?

ब– क्या देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक कोयला घोटाले की फाइलें मंत्रालय से गायब है?

स– क्या सरकार अपने खास लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है?

द– और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए है?

अध्यक्ष :– मंत्री जी कृपया –

कोयला मंत्री :– अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूँ कि –

अ– देश में सस्ती बिजली के उत्पादन के लिए Coal Bloks का आबंटन Open Tender द्वारा न करके Secrutiny द्वारा किया गया।

ब– कोयला घोटाले की 150 फाइलें मंत्रालय से गायब है बाकि सभी फाइलें सुरक्षित है।

स– सरकार किसी भी व्यक्ति या संस्था को बचाने का प्रयास नहीं कर रही है। इस घटना में कानून अपना काम करेगा।

द– मंत्रालय से जो भी 150 फाइलें गायब हुई हैं सरकार इसकी जाँच कर रही है इस घटना में जो भी व्यक्ति या संस्था दोषी पाई जाएगी, उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। कोयला घोटाले का केस, सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। अतः हम सभी को न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

अध्यक्ष :– **प्रश्न सं0 105, सुश्री अंजली**

सुश्री अंजली :– श्रीमान क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि –

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पैट्रोलियम सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की है यदि हाँ तो इसका क्या कारण है।

अध्यक्षः– मंत्री जी कृपया –

पेट्रो मंत्री :– महोदय – आस्था

(क) महोदय, मैं इराक में चल रहे गृह युद्ध के कारण अन्तराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम काफी बढ़ गए है, जिसके परिणाम स्वरूप तेल कंपनियों का घाटा भी बहुत अधिक बढ़ चुका है। इसके अतिरिक्त मैं माननीय सदस्य को यह भी सूचित करना चाहूँगी कि पैट्रोल और डीजल की कीमतों का निर्धारण बाजार दर के आधार पर किया जाता है, क्योंकि पैट्रोल और डीजल की कीमतों को सरकार द्वारा Deregulate कर दिया गया है।

महोदय मैं यह कहना चाहूँगीं कि यह ठीक है कि सरकार ने कीमतों में वृद्धि की है। किन्तु यह वृद्धि विशेष रूप से पैट्रोलियम पदार्थो में की गई है। अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि कदापि नहीं की गई है। और इसका मुख्य कारण अर्न्तराष्ट्रीय बाजार में तेल एवं अन्य पदार्थो के दामों में आई भारी वृद्धि है। मेरे विचार से यह सरकार द्वारा ग्राहकों को समय पर दी जा रही छूट का भी परिणाम है। तेल पूल के घाटे को नियंत्रित करने के लिए मूल्य वृद्धि की गई है।

अध्यक्ष :– **कोई पूरक प्रश्न**

सुश्री अंजली :– क्या इस मूल्य वृद्धि से हमारी अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है अथवा नहीं और क्या सरकार ने इस मूल्य वृद्धि से पहले सभी पहलुओं पर विचार किया था।

– क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया था कि देश में पड़ रहे भयंकर सूखे की स्थिति में इस मूल्य वृद्धि का समाज के मध्यम तथा निम्न वर्ग के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

पूरक उत्तर :–

– श्रीमान, सुश्री अंजली के प्रश्न के उत्तर में मैं यह कहना चाहूँगीं कि सरकार ने अवश्य ही अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं पर विचार किया। यह निर्णय हमारे पूरे मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया।

– अध्यक्ष महोदय मैं यह भी कहना चाहूँगीं कि सरकार ने मध्यम तथा निम्न वर्ग के लोगों की आवश्यकता का पूरा–पूरा ध्यान रखा है। उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कई कदम उठाएं गए है –

1. पैट्रो पदार्थो में हुई मूल्य वृद्धि के बावजूद भी जन–परिवहन निगम के किरायों में कोई वृद्धि नहीं की गई हैं।
2. आयकर दाताओं के अतिरिक्त जन सामान्य को पुरानी दर पर ही राशन वितरित किया जा रहा है।
3. L.P.G. पर आज भी 70% सब्सीडी दी जा रही है।
4. सरकार डीजल के मूल्य की Double Pricing पर भी विचार कर रही है।

अध्यक्ष :– **प्रश्न सं0 106, सुश्री प्रेरणा**

सदस्य :– क्या वित्त मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि –

(क) क्या भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में हैं क्योकि हमारी जी0डी0पी0 लगातार कम होती जा रही है?

(ख) यदि हाँ तो क्या सरकार की नीतियाँ इस मंदी के लिए जिम्मेदार रही?

(ग) सरकार इस संकट से निपटने के लिए क्या उपाय कर रही हैं?

अध्यक्ष :– वित्त मंत्री जी कृपया – सुश्री सुरक्षा

मंत्री :– माननीय अध्यक्ष महोदय –

(क) USA और यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के असर से भारत भी अछूता नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी अर्न्तराष्ट्रीय मंदी को प्रभाव परिलक्षित हो रहा है।

(ख) नहीं, सरकार की सकारात्मक नीतियों एवं मजबूत बुनियाद के कारण हमारी अर्थव्यवस्था अन्य यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर स्थिति में है।

(ग) 1. सरकार का प्रयास हैं कि R.B.I. और SEBI की मदद से निवेशकों को वित्तिय बाजार की ओर आकृर्षित किया जाएं।

2. सरकार ने रक्षा एवं बीमा क्षेत्र में F.D.I. की सीमा को बढ़ाकर 49% कर दिया है।

3. कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 500 करोड़ रूपये का Import Fund भी बनाया गया है।

अध्यक्ष :– **प्रश्न सं0 107, श्री आमिर खान**

सदस्य :– **महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि –**

(अ) **क्या जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों को जिनकी नियुक्ति वर्ष 2004 के पूर्व हुई है को फैमली पेंशन यानी G.O.I. Pension मिलती है या नहीं?**

(ब) **यदि नहीं तो क्यों?**

(स) **माननीय मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि अपनी माँगों के सर्मथन में फरवरी–2013 में नवोदय विद्यालयों के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों ने जो हड़ताल की थी उन माँगों पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?**

अध्यक्ष :– **मानव संसाधन विकास मंत्री जी कृपया –**

मंत्री :– अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूँगी कि –

(अ) जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों को फैमली पेंशन यानी G.O.I. Pension नहीं मिलती है। वर्ष 2004 से पूर्व नियुक्त शिक्षक एवं कर्मचारियों को C.P.F. तथा वर्ष 2004 के बाद नियुक्त शिक्षक एवं कर्मचारियों को " नई पेंशन स्कीम " की सुविधा प्रदान की गई है।

(ब) नवोदय विद्यालय समिति की स्थापना सोसाइटी के रूप में वर्ष 1986 में हुई उस समय नवोदय विद्यालय समिति ने C.P.F. विकल्प चुना था।

(स) महोदय नवोदय विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी 06 फरवरी–2013 से 15 फरवरी–2013 तक अपनी 23 माँगों के सर्मथन में हड़ताल पर रहे। इनकी प्रमुख माँग थी कि नवोदय विद्यालय के सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों को फैमली पेंशन यानी G.O.I. Pension प्रदान की जाए। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूँगी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय उनकी इस माँग पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही हैं। मंत्रालय द्वारा तैयार ड्राफ्ट पर Inter Ministerial Group द्वारा विचार विमर्श अपनी Advance Stage में है। जल्दी ही Cabinet Note तैयार करके Cabinet में भेजा जाएगा।

इसके अतिरिक्त शारीरिक शिक्षा शिक्षकों एवं तृतीय विषय शिक्षकों को पीजीटी ग्रेड़ में प्रोन्नति का प्रस्ताव मान लिया गया। JNVST के फार्म को चेक करने की दर रू. 1.00 से बढ़ाकर रू. 3.00 कर दिया गया। महोदय मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूँगी कि हड़ताल पर गए शिक्षक एवं कर्मचारियों की 23 माँगों में से 15 माँगों को मान लिया गया है।

अध्यक्ष :– **प्रश्न सं0 108, सुश्री शिवानी**

सदस्य :– (अ) मैं सामाजिक न्याय एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश में गैर–संवैधानिक खाप पंचायतों का कुछ राज्यों में बहुत अधिक हस्तक्षेप है जिसके कारण समाज में Honour Killing जैसी कई और समस्याएँ उठ खड़ी हुई है। मैं जानना चाहती हूँ ऐसी पंचायतों पर रोक के लिए हमारी सरकार कौन से ठोस कदम उठा रही है।

(ब) महोदय कहने के लिए तो हमारे समाज में स्त्रियों को पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो ये केवल कहने के लिए है वास्तविकता एकदम इसके विपरित ही है क्योंकि आज भी स्त्री समाज में स्वेच्छा से धूमना–फिरना एवं स्वेच्छानुसार अपना जीवनसाथी चुनने तक में स्वतंत्र नहीं है। तो ये कैसा समानाधिकार है।

अध्यक्ष :– **सामाजिक न्याय एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री जी कृपया – निकिता**

उत्तर (अ) अध्यक्ष महोदय क्योंकि खाप पंचायते संवैधानिक नहीं है और उनके निर्णय मानवाधिकार तथा महिला अधिकारों का उल्लघंन करते है। अतः केन्द्र सरकार ने इस प्रकार के असंवैधानिक प्रवर्ती पर रोक लगाने के लिए सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों और पुलिस प्रमुखों की बैठक जुलाई है। बैठक के पश्चात राज्य सरकारों से विचार विमर्श करके संवैधानिक उल्लंघन के मामलों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

(ब) महोदय सरकार को इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ इलाकों में खाप पंचायतों द्वारा अपने तथा अपने परिवार के झूठे सम्मान के नाम पर अपने ही बच्चों की हत्या तथा अपने समाज की महिलाओं के लिए कुछ असंवैधानिक निर्णय लिए है। जैसे–महिलाएँ व लड़कियों घर से बाहर अकेले नहीं धूम–फिर सकती है तथा अपना जीवनसाथी स्वयं नहीं चुन सकती है।
ऐसी स्थिति को देखकर मैं भी एक स्त्री होने के नाते अपने उद्‌गार नहीं रोक पा रही हूँ।

समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए नर और नारि,
पुरूष प्रधान समाज में नारी बिनु अधिकार।
सृष्टि की रचना करे, पाले घर संसार,
आजीवन संसार में सहती दुःख अपार।
स्वतंत्रता हर जीव का पहला है अधिकार,
नारी बस दासी रही और रही लाचार।
जीवन साथी का अगर मन से करे चुनाव,
ऑनर किलिंग के नाम पर होता है संहार। –2

Speaker :- Now Question hour ends and paper will be laid down.

राज्य सभा से संदेश

अध्यक्ष :– महासचिव, युवा संसद की राज्य सभा से प्राप्त संदेश को पढ़ेगें।

महासचिव :– श्रीमान मुझे युवा संसद की राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है।

युवा संसद को राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विभाग के अनुसार मुझे रेलवे यात्री सुविधाएँ सुधार विधेयक, 2014 (Improvement of pasenger's facilities, Railway Bill, 2014) की प्रति सभा–पटल पर रखने का निर्देश हुआ है, जो राज्य सभा द्वारा 05 फरवरी 2014 को हुई बैठक में पारित किया गया था।

अध्यक्ष :– महासचिव, राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक की प्रति सभा–पटल पर रखेगें।

महासचिव :– महोदय, मैं राज्यसभा द्वारा पारित किए गए " रेलवे यात्री सुविधाएँ सुधार, विधेयक 2014 की एक प्रति सभा–पटल पर रखता हूँ।

ZERO HOUR

Mr. Ankur Singh Soam

Mr. 'A'- Honorable speaker

As whole nation know that our prime minister was keen to meet his counter part in Pakistan to talk about the peace during the UNO summit in Newyork our P.M met to him. At the same time our army troops were engaged in a gun battle murderous fight with Pakistani terrorist in keran sector, of jammu and Kashmir's kupwaradisfrict. After 15 day long operation that area was cleared and terrorist were pushed back. More over Army chief made it clear that Pakistan army provided cover fire to terrorist to infiltrate in to keran sector.

The whole episode of keran sector is a matter of serious concern because it reminded us Kargil intrusion of 1999. Speaker sir, I want to know from govt. is it not shameful to nation that our PM talked about peace where as Pakistan grabbed our village. Why is govt keeping eyes closed on issue of nation's security? I hope govt will take stern action against Pakistan other wise it will make the image of our country as a weak country.

चेतना :– हमारे देश में C.B.I. की निष्पक्षता, ईमानदारी व स्वायत्ता पर प्रश्न चिन्ह हैं। सम्मानित उच्चतम न्यायालय ने भी C.B.I. को " **पिंजड़े में बन्द एक तोते** " की संज्ञा दी हैं। एक सप्ताह पहले ही C.B.I. ने कुछ राजनेताओं के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामलों की जाँच को बन्द करने का निर्णय लिया है, जिससे एक बार फिर C.B.I. की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। क्योंकि यह निर्णय राजनीति से प्रभावित लगता है, जो कि एक गम्भीर विषय है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि इसकी तत्काल जाँच करवाई जाए व राजनेताओं के खिलाफ वर्तमान में चल रही जाँच को बन्द करने के बजाय तुरन्त नए सिरे से जाँच करवाई जाए तथा ब्ठण्ण् की स्वायत्ता के लिये सदन में यथाशीघ्र विधेयक लाया जाए।

सुश्री प्रियांशी नागर

सवन भादो साधु हो गए, बादल सब सन्यासी,
पछुआ चूस गई पुरवा को, धरती रह गयी प्यासी,
फसलों ने वैराग ले लिया, जोगी हो गयी धानी,
राम जाने कब बरसेगा पानी –– 2

अध्यक्ष महोदय आप सभी को विदित ही है कि कमजोर मानसून के कारण देश के अधिकांश भागों में अकाल की सम्भावना बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार देश में 11 जुलाई 2014 तक 43% कम वर्षा दर्ज की गई है। पश्चिमी यूपी में सामान्य से 73%, पंजाब में सामान्य से 57% तथा गुजरात में 92%, कम बारिश है। फलस्वरूप देश के कई हिस्सों में अभी तक दलहन, तिलहन तथा चावल की बुवाई तक नहीं हो सकी और फल, सब्जियों व अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले दिन किसानों के लिये मुश्किल भरे होंगे।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि कमजोर मानसून और सुखे की सम्भावना को गम्भीरता से लेते हुए पहले से ही उचित कार्य योजना तैयार कर लें, जिससे किसानों तथा आम आदमी को राहत पहुँचाई जा सके।

अध्यक्ष :– संसदीय कार्य मंत्री कृपया।

सुश्री रश्मि झा – I will convey these matters to concern Ministers.

BRECH OF PRIVILAGE

Ms. Manu:- Sir, a serious breach of privilage has been committed by the member of the civil society a few news chanels and news paper Mumbai, while commenting on the draft of Land Acquisition Bill 2013, approved by parliamentary standing committee. All these attributed dishonest motives and express their doubt about the integrity of the whole political class and all the Hon. Member of the parliament. I, therefore, request to allow me to raise a question on that matter now.

Speaker :- **Ms. Manu** , have you given notice of it earlier? You may give due notice along with a copy of newspaper cutting and statement made by the civil society member if recorded, I shall consider it. You cannot spring a surprise on me like this.

Ms. Manu :- I have already given notice of it at 10:15 A.M. today.

Speaker :- It will be examined when it comes to me, I shall consider it and let you know my decision. Now time to welcome foreign delegates.

Welcome to the Chinese Parlimentary delegation

Speaker :- Hon. Members, I have to make an announcement.

On the behalf of the Hon. Members of the house, I have great pleasure in extanding our warm welcom to his excellency **Mr. Liang Jhung,** speaker of the Chinese parliament and the Hon. Member of Chinese parlimentary delegation who are on a visit to India are our honoured guest.

The other Hon. Members of the delegation are :-

01- Ms. Leena Kim – Member of Parliament
02- Ms. Sana Macha Dung – Member of Parliament

It is a very high powered delegation who reached Delhi on Saturday 12th July, 2014. They are now seated in special Box. We wish them a happy and fruitful stay in our country. We also convey our warm feelling and very best wishes through them to their President, Prime-ministor, Parliament. The Government and very friendly people of China.

Calling Attention Motion

Speaker :- Now let us take up the calling attention . Ms. Sweta, Ms. Doli, Mr. Ankur Singh, Mr. Ashutosh, will call the attention of Home Minister

Ms. Sweta :- Sir, I beg to call the attention of Home Minister about the protest, anger, unrest, and violence erupted in several part of Andhra Pradesh, Assam and West Bengal after the declaration of carving out a separate state-Telangana, from Andhra Pradesh and action taken by Govt. thereof.

Speaker :- **Home Minister please –**

गृहमंत्री :– श्रीमान अलग तेलंगाना राज्य की घोषणा के बाद आन्ध्र प्रदेश में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान छिटपुट हिंसात्मक घटनाए हुई है, जैसा कि सभी जानते है वहाँ पर तेलंगाना समर्थकों ने अलग राज्य की घोषणा का स्वागत करते हुए खुशियाँ मनाई तथा दूसरी तरफ सीमांध्रा तथा रायलसीमा में लोगों ने पृथक तेलंगाना राज्य का विरोध किया क्योंकि वे लोग वर्तमान एकीकृत आन्ध्र प्रदेश के पक्षधर है। इसको लेकर वहाँ हिंसा हुई हैं तथा असम में भी अलग बोडोलेण्ड राज्य की माँग दोहराते हुए लोगो ने प्रदर्शन किये जिसमें कुछ हिंसात्मक घटनाए भी हुई। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए हैं जैसे– राज्य पुलिस के साथ–साथ केन्द्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को भी लगाया गया तथा मैं व्यक्तिगत रूप से इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्पर्क रहते हुए पूरे मामले को देख रहा हूँ। वर्तमान में वहाँ पर स्थिति पूरी तरह से शांत व नियंत्रण में हैं तथा पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन तो हो रहे हैं पर हिंसा की खबर गलत हैं।

Speaker :- **Mr. Sweta**

Mr. Sweta :- Honourable Speaker, Sir, I really thank to chair for providing me an opportunity to draw the attention of Home Minister for taking up discussion with regard to inadequate preparation, precaution and Home work done by Govt. before taking the decision of forming new state-Telangana that led to wide spread protest and violence in Andhra Pradesh.

There are reports in Media and News Paper that Govt. has failed to take precautionery measures and assess the implication of forming the state – Telangana. That is why a large number of people came on streat in Seemandhara and Royalaseema area of A.P. to protest against Govt's move. At some places protester turned violent that caused a great damage to public property, as arround 108 No. of Buses and vehicles were set ableze and many Govt. offices and building were set fire and thrown the stones..

All these reports compell me to believe that Govt. has not only taken this decision hurriedly but also without assessing situation at ground level and making proper arrangement. I, therefore urge the Govt. to do all needfull to ensure normalcy in affected areas and satisfy the people of both side.

Speaker :- Ms. Doli

Ms. Doli :- अध्यक्ष जी, मैं माननीय गृहमंत्री जी का ध्यान अलग तेलंगाना राज्य बनाने की घोषणा के बाद उत्पन्न हुई परिस्थितियों की और आकृषित करना चहाता हूँ। जैसे घोषणा के साथ ही तेलंगाना राज्य के समर्थकों में खुशियों की लहर फेल गई क्योंकि इस दिन के लिये वो दशकों से संघर्षरत थे। दूसरी तरफ आन्ध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों–सीमाध्रा तथा रायलसीमा के लोगों के लिये यह निराशाजनक व दुःखुद है, फलस्वरूप उनका क्रोध व विरोध स्वाभाविक है। क्योंकि वे मानते है यह राज्य का विभाजन नहीं बल्कि एकीकृत आन्ध्रा का निर्धनता तथा सम्पन्नता में विभाजन है। प्रस्तावित तेलंगाना प्रदेश के लोग हर तरह से सम्पन्न है तथा वह अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के अध्ययन हेतु अमेरिका, ब्रिटेन तथा आस्ट्रेलिया भेजते है, जबकि सीमान्ध्रा व रायलसीमा के निवासी तुलनात्मक रूप से काफी निर्धन है जो अपने बच्चों को अध्ययन व रोजगार हेतु हैदराबाद भेजते है, जो कि अब आसान नहीं होगा।

मैं स्वयं भी रायलसीमा क्षेत्र से सम्बन्धित हूँ तथा व्यक्तिगत रूप से मैनें वहाँ के लोगों की पीड़ा को जाना। वे मानते है कि तेलंगाना के लोगों के पास हैदाराबाद, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रोजगार के भरपूर अवसर, उधोग तथा हाई टैक सिटी के रूप में सब कुछ होगा, जबकि वे सब कुछ खो देंगे। अतः मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि इन सब के निराकरण के लिये Action Plan तैयार किया है या नहीं तथा पानी व नदियों के बँटवारे को लेकर होने वाले विवाद से बचने के लिये पहले से ही उचित योजना तैयार कर ले जो दोनों तरफ के लोगों को स्वीकार्य हो। मैं आशा करता हूँ कि सरकार इन सब विषयों पर गम्भीरता से विचार करेगी।

Speaker :- Mr. Ankur Singh

Mr. Ankur Singh :- श्रीमान जी, मैं आपके माध्यम से गृहमंत्री जी का ध्यान गोरखा जन–मुक्ति मोर्चा द्वारा चलाए जा रहे आन्दोलन की और आकृषित करना चाहता हूँ। पृथक तेलंगाना राज्य की घोषणा के बाद से ही मेरे निर्वाचन क्षेत्र दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी में, पश्चिम बंगाल से अलग करके " गोरखालैण्ड " राज्य बनाने की माँग पुनर्जिवित हो गई है। जिसके लिये गोरखा जन–मुक्ति मोर्चा वर्षो से सघर्ष कर रहा है। भौगोलिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सहित सभी कारणों से उनकी माँग उचित प्रतीत होती है। देश की रक्षा में गोरखा लोगों का त्याग, बलिदान अतुलनीय हैं। अगर तेलंगाना के साथ–साथ पृथक गोरखा लेण्ड राज्य नहीं बनाया जाता है तो यह गोरखाओं के साथ अन्याय तथा भेदभाव होगा। गोरखाओं का मानना है कि केन्द्रीय सरकार ने आगामी चुनावों में अपनी सीटें बढ़ाने के लिये अलग राज्य तेलंगाना की घोषणा कर दी हैं परन्तु उनका क्षेत्र जो हर तरह से पिछड़ा हुआ है। जिसके समुचित व समन्वित विकास हेतु पृथक राज्य की जरूरत है उसे सरकार अमल में नहीं ला रही है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि अलग गोरखालैण्ड राज्य की न्यायोचित माँग को स्वीकार करते हुए इसकी घोषणा करें तथा सबके साथ समानता का व्यवहार करें।

Speaker :- Mr. Ashutosh Gautam

Mr. Ashutosh :- Sir, First I welcome to Govt's move for separate state Telangana from Andhra Pradesh to address the long pending demand and struggle of people of Telangana area. Really it is landmark decision keeping in view the development issue broadly. But simulteneously, Telangana decision triggered, renewed and fuelled other state hood demand and protests perticularly in Bodoland Territory of Assam, Gorkhaland in west Bangal, Vidharbha in Maharasthra and division of Uttar Pradesh.

I, there fore, very sinceraly draw the attention of Honourable Home Minister towards these on going protest. Will Home Minister please clarify that why is Govt. not considering demand of separate state Bodoland from Assam? Where people have been protesting, agitating and turned violent. Sir let me show some newspaper to present how people in Bodoland region have protested and turned violent that caused casualty as well as great damage to Govt. offices, vehicles, buildings and private properties. I, lastly urge Govt. to materialise all genuine demands for separate statehood including Bodoland, Gorkhaland, Vidharbha and splitting Uttar Pradesh in to Purvanchal, Bundelkhand, Awad Pradesh and Pashchimi Uttar Pradesh on the ground of accommodating diversity, ensuring balancec development and representation of all and one.

Speaker :- गृहमंत्री जी कृपया।

गृहमंत्री :- माननीय अध्यक्ष जी मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि तेलंगाना राज्य का निर्णय न तो राजनीतिक है, और न ही आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर लिया गया। बल्कि तेलंगाना के लोगों की आशा अपेक्षा भावनाओं तथा जरूरतों के अनुरूप लिया गया तथा हमारे चुनावी घोषणा पत्र में किये गए वादे को पूरा करने के लिये लिया गया। जिसे गठबन्धन की समनव्य समिति ने भी अपनी सहमति दी है। तेलंगाना का निमार्ण एक दूरगामी तथा विकास को बढ़ावा देने वाला है। प्रस्तावित तेलंगाना राज्य में 10 जिले होंगे। शुरूआत में 10 वर्षो के लिये हैदराबाद दोनों राज्यों, तेलंगाना तथा सीमाक्षा की Comman राजधानी होगी। जल, वन, खनिज सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनके बटँवारे के लिये एक कमेठी गठित की जाऐगी तथा इसकी सिफारिशों के अनुरूप न्यायोचित बटँवारा किया जाएगा ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद ना हो तथा दोनों राजयों निवासी शान्ति, बन्युत्व व सदभावना के साथ रहे सके।

मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूँ कि तेलंगाना राज्य की घोषणा के बाद सरकार ने किसी भी तरह की हिंसा न हो, शांति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ न हो, के लिये पर्याप्त कदन उठाएं जैसे – Deployment of adequate No. of Security personal तथा धारा 144 लागू करना। परन्तु इन सब के बावजूद भी हिंसात्मक प्रदर्शन हुए जो खेदजनक हे।

जहाँ तक बोड़ोलैण्ड, गोरखालैण्ड, विदर्भ, उत्तर प्रदेश का चार राज्यों में विभाजन तथा अन्य राज्यों के गठन परिपेक्ष्य में, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि गोरखालैण्ड व बोड़ोलैण्ड Territories में राज्य सरकार के अतिरिक्त वहाँ यके स्थानीय लोगों द्वारा स्वायत शासन का प्रावधान है, जिसे अपने क्षेत्र में विकासात्मक कार्यो को उत्तरदायित्व दिया गया है। फिर हमारी सरकार ने इस सब नए राज्यों के गठन की माँगों को ध्यान में रखते हुए एक 15 सदस्यों वाली कमेठी का गठन करने का निर्णय लिया है। जो इन सब राज्यों दौरा करके विस्तृत अध्ययन के बाद जो भी सिफारिस देती है। उसके अनुरूप सही समय पर सही तरीके से सही निर्णय लिया जाएगा।

Now the time for Legislative business - (Bill to be introduced)

अध्यक्ष :– माननीय सामाजिक न्याय मंत्री विधेयक का पुरःस्थापन करेंगी।

सुश्री अंजलि :– श्रीमान मैं प्रोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक को पुर स्थापित करने की अनुमति चाहती हूँ।

अध्यक्ष :– प्रश्न है –

" प्रोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2013 के पुरःस्थापन करने के लिए अनुमति प्रदान की जाए। "

कृपया .....

जो इसके पक्ष में है वे (हाँ) कहें। .....

जो इसके विपक्ष में हैं, वे कृप्या (न) कहें। .....

मैं समझता हूँ कि " हाँ " का बहुमत है। " हाँ " का बहुमत है। " हाँ " का बहुमत है। अतः अनुमति दी जाए।

मंत्री :– श्रीमान मैं विधेयक पुर्नःस्थापित करती हूँ।

(BILL FOR CONSIDERATION)

Speaker:- Now the House will take up consideration to the National Sports Development Bill-2014. That All ready has been introduced in Last Session.
Sport Minister please-

Sport Minister :-

National Sport Development Bill, 2014

धूप में निकलों, घटाओं में नहा कर देखों,
जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखों।

I have great pleasure and privilege to take up consideration on the National Sports Development bill, 2014. This will be mile stone and a new chapter in the history of sports and games.

Very purpose of this bill is:

To provide for development of sports in India, coordination of national teams for participation international events, fair and transparent functioning of autonomous sports bodies and welfare measures for sportspersons. Promote ethical practices in sports(including elimination of doping practices, fraud of age and sexual harassment of women In sports), to constitute and establish a Sports Dispute settlement and appellate tribunal to hear appeals and adjudicate disputes relating to sports and matters connected therewith or incidental thereto.

Salient Features and provision of this Bill are:-

01- The Central Government may, by rules, provide for such measures as may be necessary for promotion and development of sports, and welfare of sportspersons including elimination of unethical practices in sports,

02- The National Olympic Committee and the national sports India in international Federations shall comply with provisions of this Act while athletic competitions selecting the national teams or individual athlete who represent India in international athlete competitions. Without prejudice to the generality of the provisions contained in sub-section, the sports Authority of India shall perform all or any of the following functions namely.

03- holding preparatory coaching camps for the national teams for individual athletes including core probable approved by the central Govt. undertake measure to promote drugs free sport and eliminate fraud of age gender discrimination sexual harassment of women In sports ; and make recommendations to the central Govt. in consultation with the national sport federation from time to time for promotion and development of sports

04- The sports Authority of India shall submit annually a detailed report to central Govt. for causing it to be laid before each house of Parliament. Every report under sub-section shall contain.

(a) An audited annual financial statement;
(b) A comprehensive report of activities and achievements against its approve d annual plan.,
(c) Measure taken for coach development;
(d) Measure taken to promote indigenous sports;
(e) Measure taken to create facilities for training of elite athletes;
(f) Details of coaching camps held for preparation of national teams;
(g) Performance of the activities by the sports authority of India including training of athletes and their inclusion in the national teams; and
(h) Detail of suitable employment opportunities provided to sports person. Relinquishing the charges as such a minister or retirement or relinquishing of charge by the officials, as the case may be

ELIMINATION OF UNETHICAL PRACTICES IN SPORTS (INCLUDING ELIMINATION OF DOPING , FRAUD OF AGE AND SEXUAL HARASSMENT)

05- (1) The national anti -doping agency shall function ads the apex body To implement anti - doping measure in sports in India and its code as Amended from time to time shall be applicable and binding upon all National sports federation and the national Olympic committee.

(2) Provide where the International federation is not subject to Rules\ code of the world anti- doping agency or part thereof then the National anti-doping agency shall not administer the rules\code or Part thereof as the case may be of WADA for that sports .

06- A Minister in charge of department of sports in the Central Government or any other official of the department of sports in The Central Government or any officer of the sports Authority of India shall not be eligible to contest for any elected Post in the National Olympic committee or a National sports Relinquishing of charge as such a Minister or retirement or Federation until the expiry of five years from the data of relinquishing of charge by the officials, as the case may be;

07- The Central Government shall, by notification, establish an Appellate Sports Tribunal to be known as the sports Dispute Settlement and Appellate to adjusdicate any disputes

(i) amongst Office Bearers or members in the National Olympic Committee;
(ii) between the National Olympic Committee and National Sports Federation;
(iii) amongst Office Bearers or members of a National Sports Federation;

Mr. Speaker Sir I am confident that all the Hon'ble members of this house irrespective of party affliation will welcome the bill whole heartedly and through. It will put forward the sport by eradicating the problems in arena of sport. I now move that the National Sport Development Bill, 2014 be taken in to consideration.

Mr. Speaker :- Motion moved

अध्यक्ष :– सुश्री अर्पण

अर्पण :– माननीय अध्यक्ष महोदय –

मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ क्योंकि हमारे देश की जो राष्ट्रीय स्तर की टीमें हैं उन्हें अर्न्तराष्ट्रीय स्तर तक खेलने के लिए प्रशिक्षक की आवश्यकता है, जिसका प्रावधान इस बिल में हैं। इस बिल से खेलों में जो विवाद होते है उनका निपटारा करने के लिए Appellate Sport Tribunal का प्रावधान है, जो किसी भी प्रकार के विवाद का सही निपटारा करने में सहायक होगा। इस बिल से खेल संघों में वित्तीय अनियमिताओं को रोकने के लिए उनके बजट के अंकेक्षण का प्रावधान है जिसमें अनियमिताओं को रोकने में सहायता मिलेगी। इससे खिलाड़ियों के Drug free रहने, आयु, लिंग के आधार पर होने वाले भेदभावों के रोकने में सहायता मिलेगी, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ।

Mr. speaker – Ms. Rashmi Arya

Ms. Rashmi Arya –

I strongly favour this bill for the development of sports activity in Our country due to following reason .

(1) Since it has provision to promote the sports man to win medals In International games and in Olympic games.

(2) It helps to control the use of unfair practice and drugs which Is used by some sportsman .

(3) The bill will help to eradicate the political influence over the games.
(4) This bill play important roll in selection of Players & Athlete on the basis of their performence.
(5) So I favour this bill.

अध्यक्ष :– श्री आकाश – विपक्षी दल के नेता।

आकाश :– माननीय अध्यक्ष महोदय –

मैं इस बिल का विरोध करता हूँ क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षक मिलने के बावजूद भी हमारे खिलाड़ी तथा एथलीट ओलपिंक में अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पाएँ है, तो क्या वे इस बिल के पास हो जाने से अच्छा प्रदर्शन दे पाएँगे, अगर नहीं, तो इस बिल का पास होने का कोई औचित्य नहीं है।

क्या इस बिल के पास हो जाने से खेलों में आयु, लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है, और महिला खिलाड़ियों का शोषण होता है क्या यह रूक पाएगा। अगर नहीं, तो इस बिल के पास होने से क्या फायदा होगा।

अभी भी खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता नहीं है। राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों के चयन में भाई–भतीजा वाद एवं क्षेत्रवाद का बोलबाला है क्या इसको रोकने के लिए इस बिल में कोई भी प्रावधान है, क्या इस बिल का पास हो जाना खिलाड़ियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर चयन की गारन्टी देगा।

सभी माननीय सदस्यगण भलीभाँति जानते है कि IPL-6 यानि कि भारतीय प्रीमियर लीग, 2013 के विभिन्न मैचों के दौरान Match Fixing, Spot Fixing तथा सट्टेबाजी बहुत बड़े पैमाने पर हुई, जिससे कुछ क्रिकेट खिलाड़ियों को गिरफ्तार भी किया गया। सट्टेबाजी में तो राजस्थान रायल और चैनई सुपर किंग्स के प्रशासकों तथा BCCI प्रमुख के दामाद की सलिप्तता पाई गई। क्या यह बिल इसके वर्तमान स्वरूप में इस तरह की Match Fixing, Spot Fixing तथा सट्टेबाजी को रोकने में कारगर होगा, इस पर मुझे संदेह है। अतः इस बिल को इस दिशा में प्रभावी बनाकर पास किया जाए तो अच्छा रहेगा।

अध्यक्ष :– निखिल

निखिल :– माननीय अध्यक्ष महोदय –

मैं इस बिल से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। इस बिल में यह प्रावधान है कि ड्रग्स लेने वाले खिलाड़ियों को रोका जाएगा। परन्तु इस बात की क्या गारंटी है कि यह बिल लागू होने के बाद ड्रग्स लेने वाले खिलाड़ियों को रोका जा सकेगा। और बिल लागू होने के बाद ड्रग्स लेने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ क्या कोई कानूनी कार्यवाही होगी। इस बारे में इस बिल में कोई उल्लेख नहीं है।

इस बिल में यह भी प्रावधान है कि कोई मंत्री खेल संघ का अध्यक्ष नहीं बनेगा। परन्तु इस बिल में यह भी होना चाहिए कि कोई भी राजनीतिज्ञ खेल संघ का अध्यक्ष नहीं होगा। जिससे राजनीति प्रभाव खेल पर ना पड़े।

हाल ही में हुए भारतीय प्रीमियर लीग में वित्तीय अनियमिताएं और धांधलियाँ सामने आयी क्या यह बिल उन्हें रोक पाएगा? और यह बिल हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सुधारने तथा अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पदक जितवाने की गारन्टी देगा? यदि नहीं तो ऐसे बिल से क्या फायदा। क्या यह बिल विभिन्न खेल संघों को सूचना के अधिकार, 2005 के तहत लाएगा, जिससे उनकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता निश्चित की जा सके।

Speaker :- **Honorable Prime Minister.**

Prime Minister :-

Respected Speaker Sir, having agreed with the content and provision of National Sport Development Bill, 2014. I endorse this bill as a step to uplift the Soprt and Games in our country. This bill has adequate provision to eliminate of unethical practices including doping, Fraud of age and sexual harassement in sport. It emphasise on providing international level coaching and other facilities to national team as well as individuals athleties with a view to end the drought of medals in olympic, Asian game, and commanwelth games by bring up their per formane at par with international level. The most important part of this bill is to have provision in order to curb the existing irregularities in the annual Financial statements of different sport boodies. This bill will bring all the sport and athletic Federation including BCCI under the ambit of Right to Information Act-2005. This bill therefore will help to ensure transparcey in the functioning of various sports federation. That is why I humbly request all the members of house to support this bill and get it passed with remarkable mazority.

Mr. Speaker- Mr. Somesh Saxena

Mr. Somesh Saxena-

Honorable Speaker Sir,

I am disagreeing with the some provisions of proposed bill and many things which could help in the development of sports has been left in this bill. This bill cannot prevent the financial irregularities which is presently going on in different sports federation including BCCI Bharatiya Cricket Control Board . Indian Olympic Associations, Indian Hockey , there is big irregularities in the funding of IPL . Can this bill in its present form prevent such financial lacuna ?

Presently, Many politicians are holding the post of chair person of many sports federation. All these things cannot be considered as a good practice. As far as performance of the player and rules and regulations of the sports are concern. Can this bill has enough provision to stop such practice? That's why once again I express unsatisfaction with this bill.

अध्यक्ष :– माननीय खेल व युवा मामलों के मंत्री जी कृपया –

खेल व युवा मंत्री :– माननीय अध्यक्ष महोदय –

मैने माननीय सदस्यों द्वारा इस बिल के सम्बन्ध में व्यक्त की गई आपत्तियों व संदेहो को ध्यान पूर्वक सुना था मैं, आपके माध्यम से सभी सम्मानीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूँ कि यह बिल इन सभी आपत्तियों और संदेहों का निराकरण करेगा, जैसा कि –

01. इस बिल में वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिये खेल संघों के बजट का अंकेक्षण करने सहित पर्याप्त प्रावधान है।
02. यह बिल मंत्रियों को खेल संघों में पद धारण करने से रोकने के लिए कारगर होगा।
03. यह बिल हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन सुधारने, शक्तिवर्धक दवाओं के सेवन पर रोक सहित सभी अन्य मुद्दों पर हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप खरा उतरेगा।
04. खेल संघों के बजट तथा कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिये, BCCI सहित सभी खेल संघों को " **सूचना के अधिकार, 2005** " के अन्तर्गत लाने का प्रावधान इस बिल में है।
05. IPL-6 के दौरान सामने आई Match Fixing, Spot Fixing और सट्टेबाजी जैसी घटनाओं को इस बिल के तहत अपराध की श्रेणी में रखा गया है तथा उक्त घटनाओं में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति के लिये कठोर व पर्याप्त सजा के प्रावधान भी इस बिल में है।

अतः सभी माननीयों से मेरा निवेदन है कि इस बिल का तहे दिल से स्वागत करते हुए इसे सदन में प्रचण्ड बहुमत से पारित करवाएँ।

Mr.Speaker- The question is:

"That the bill to improve performance of our player and develop sports in our country at par with international standard, be taken into consideration."
Those who in favour will say 'aye'.
Those who are against it will say 'No'.
I think the 'ayes' have it, 'ayes' have it, 'Ayes' have it.
The motion is adopted.

CLAUSE BY CLAUSE CONSIDERATION.

Mr. Speaker: Now the question is that clause 2-7 stands part of the bill.
Those who are in favour may say 'aye'.
Those against will say 'no'.
I think 'Ayes' have it' the 'Ayes' have it, the 'ayes' have it.
The motion is adopted. Clause 2-7 stand part of the bill.

Mr. Speaker: Now the Question is :
"That clause 1, the enacting formula and the Title stand part of the bill."
Those in favour will please say 'ayes'
Those who are against it will please say 'no'.
I think the 'ayes' have it, the 'ayes' have it, the 'ayes have it.
The motion is adopted.

Mr. Speaker: Minister For Sports And Youth Affairs please

MINISTER FOR SPORTS AND YOUTH AFFAIRS: Sir , I move the bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved:
"That the Bill is passed."
Those in favour may please say 'aye'.
Those against it may please say 'no'.
I think the 'ayes' have it. The 'ayes' have it, the 'ayes' have it.
The motion is adopted and bill is passed

Mr. Speaker: Now house is adjourned to meet again on 17th July, 2014 at 11:00 AM